न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 40/2003/223 आर टी ए

मोहनलाल पुत्र मघाराम जाति भाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. वन विभाग राजस्थान सरकार जरिये रेंजन नोहर।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2003 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर प्र0सं0 233/1995 अनवानी मोहनलाल बनाम सरकार

उपस्थित :–

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–14.11.2017

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदार घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जाकर अपीलांट का वाद खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व सबूत पर कोई गौर नही किया है तथा निर्णय व डिक्री नियम विरूद्ध पारित की गई। वादी ने अपनी तनकीयात को बखूबी साबित किया था तथा विवादित भूमि सम्वत 2021 से पहले से वादी की नोतोड़ कर काश्त करनी शुरू कर दी थी तथा आज भी वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। वह खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा विचारण न्यायालय ने वादी को खातेदार काश्तकार न मानकर कानूनी भूल की है। प्रतिवादी ने अपनी तनकी सं. 4 को किसी प्रकार दस्तावेजी व जबानी साक्ष्य से

साबित नही किया था तथा ना ही विवादित भूमि कभी गोचर जोहड पायतन रही तथा न ही कभी वन विभाग के उपयोग मे आई न कभी पेड़ पौधे लगाये गये। उक्त भूमि पर हमेशा काश्त होती रही है। विचारण न्यायालय ने वादी की तरफ से प्रस्तुत गिरदावरियों व अन्य सबूत पर कोई गौर किये बिना तनकी सं. 4 का फैसला प्रतिवादीगण के पक्ष मे कर कानूनी भूल की है। विवादित भूमि 40 साल से वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है तथा वह प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा वादी एक गरीब काश्तकार है तथा उसके परिवार के जीवन यापन का साधन यह आराजी जरई है तथा राज्य सरकार के आदेशो के अनुसार वादी को उक्त भूमि का नियमन कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने चाहिये थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नं. 245 मीन की 23 बीघा भूमि पूर्व मे आराजीराज थी व उसके पश्चात वन विभाग के नाम आवंटित कर वन विभाग के नाम से दर्ज की जा चुकी है व वन विभाग की भूमि पर खातेदार अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को वन विभाग की मानकर तथा वादी द्वारा वन विभाग की भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से काश्त करना मानते हुए वाद वादी खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया कि वाद भूमि आराजीराज दर्ज थी जिस पर वादी ने सम्वत 2022 मे अतिक्रमी की हैसियत से नाजायज काश्त की है। पैमाईश मे बन्दोबस्त विभाग ने गौचर (जोहड़ पायतन) दर्ज की जो जिलाधीश गंगानगर के आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 15.03.79 द्वारा वन विभाग को आवंटन हुई तथा वर्तमान मे वन विभाग के नाम दर्ज है। अतः स्पष्ट है कि वादी मोहनलाल सम्वत 2022 से आज तक बतौर अतिक्रमी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर रहा है, वादी उक्त भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि जो गौचर भूमि दर्ज थी जो वन विभाग को आवंटित की गई और

वर्तमान मे वन विभाग के नाम दर्ज है जिस वादी केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से भूमि पर काबिज है इसलिए वादपत्र मे प्रतिकूल धारण के आधार पर कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए तनकीवार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2003 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ